

## अध्याय 6 चाय विकास- लागत कटौती

**उद्देश्य 4: क्या चाय बोर्ड द्वारा आरम्भ किए गए विकासात्मक कार्यक्रमों द्वारा भारत में चाय की लागत कटौती पर प्रभाव डालते थे।**

वसूली के प्रति उत्पादन की तुलनात्मक लागत

6.1 विश्व में प्रमुख चाय उत्पादक देशों में भारतीय उत्पादन की उच्चतम लागत है। बिक्री की लागत भी नीलामी वसूली से अधिक है। चाय उत्पादक देशों में कीमत वसूली के प्रति उत्पादन की लागत की तुलना नीचे दी गई है:

तालिका 10 कीमत वसूली की तुलना में उत्पादन की लागत				
देश का नाम		उत्पादन की लागत (अमरीकी डालर/किलोग्राम)	नीलामी वसूली (अमरीकी डालर/किलोग्राम)	औसत लाभ
भारत	उत्तर भारत	1.62	1.50	(-) 8%
	दक्षिण भारत	1.48	0.95	(-) 56%
केन्या		0.97	2.02	52%
मलावी		0.80	1.02	22%
श्रीलंका		1.52	1.92	21%

स्रोत: अक्सैन्वर रिपोर्ट 2002 (चीन और इण्डोनेशिया से संबंधित डाटा रिपोर्ट में उपलब्ध नहीं) और टी बोर्ड द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना

2002 के बाद चाय बोर्ड ने उत्पादन की लागत का ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया जिसमें चीन, केन्या, श्रीलंका, इण्डोनेशिया, जापान, मोरिशस जैसे देशों से तुलना करके विविध अंशों का विश्लेषण हो पाता और उत्पादन की लागत घटाने के उपाय किए जाते।

चाय उत्पादन की लागत में कटौती के लिए कार्रवाई करने में विफलता

6.2 मध्यावधि निर्यात नीति में श्रम, उपरिव्यय, क्षेत्रीय इनपुट और अवसंरचना की लागत में कमी के माध्यम से उत्पादन की लागत की कमी को पूरा करने के लिए चाय बोर्ड द्वारा आरम्भ किए जाने वाले विशेष कदमों की सिफारिश (जनवरी 2002) की गई (संदर्भ अनुबन्ध 11)। हमने देखा कि चाय बोर्ड ने उपरोक्त कार्रवाई नहीं की थी। चाय बोर्ड ने अपने उत्तर में सितम्बर 2008 में बताया कि चूंकि भारत चाय उत्पादक देशों के बीच उत्पादन की उच्चतम लागत रखता है इसलिए लागत को नीचे लाना जरूरी था। श्रम सम्बद्ध लागत का घटक चाय के उत्पादन की कुल लागत का लगभग 50 प्रतिशत के लगभग था। चूंकि ये लागतें रोपण श्रम अधिनियम के अन्तर्गत सांविधिक रूप से अनिवार्य थी इसलिए चाय के उत्पादन की लागत में सम्पूर्ण कमी के लिए श्रम की उत्पादकता में किए जाने वाले सुधार एक अधिक अनिवार्य क्षेत्र था।

भारत के विभिन्न राज्यों में सीटीसी चाय निर्माण की तुलनात्मक लागत

6.3 चाय बोर्ड ने वर्ष 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 के लिए भारत के अन्दर राज्यवार एस्टेट फैक्टरी द्वारा सीटीसी चाय के उत्पादन की लागत का अध्ययन करने के लिए एक परामर्शी एजेंसी को नियुक्त किया था। भारत के विभिन्न राज्यों द्वारा तैयार चाय (सीटीसी) के निर्माण की लागत नीचे दी गई है:

तालिका 11 उत्पादन की लागत के संघटकों के व्यौरे (₹प्रति किलोग्राम)									
विवरण	सिक्किम	कर्नाटक	असम	त्रिपुरा	हिमाचल प्रदेश	केरल	तमिल नाडु	पश्चिम बंगाल	भारत
हरी चाय की लागत	182.50	31.15	42.08	26.64	42.98	41.44	41.23	46.71	42.13
मजदूरी व वेतन	79.51	8.26	5.78	7.78	11.64	4.65	2.40	4.22	5.23
विद्युत, ईंधन, मूल्यहास, पैकेजिंग आदि सहित लागत	65.89	13.25	15.62	12.61	13.00	11.90	11.73	18.30	15.23
उपकर	0.37	0.26	0.61	0.13	0.23	0.30	0.23	0.27	0.45
<b>उत्पादन लागत</b>	<b>328.27</b>	<b>52.92</b>	<b>64.09</b>	<b>47.16</b>	<b>67.85</b>	<b>58.29</b>	<b>55.59</b>	<b>69.50</b>	<b>63.04</b>
प्रशासनिक उपरिव्यय	22.52	0.34	3.06	1.52	0.00	1.83	1.31	8.52	3.63
परिवहन जावक, भण्डारण, नमूना लागत आदि सहित बिक्री लागत	3.12	1.20	3.74	4.44	10.55	0.72	5.18	3.09	3.45
कार्यचालन पूंजी पर ब्याज	0.00	0.69	2.97	0.00	0.35	0.00	0.00	3.11	2.23
<b>बिक्री की कुल लागत</b>	<b>353.91</b>	<b>55.15</b>	<b>73.86</b>	<b>53.12</b>	<b>78.75</b>	<b>60.84</b>	<b>62.08</b>	<b>84.22</b>	<b>72.35</b>
औसत वसूली	<b>239.18</b>	<b>54.78</b>	<b>65.78</b>	<b>54.21</b>	<b>87.04</b>	<b>54.77</b>	<b>62.41</b>	<b>83.78</b>	<b>67.41</b>

स्रोत: चाय बोर्ड

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि उत्पादन लागत का सबसे बड़ा घटक हरी पत्ती की लागत, जो कि भारत में उत्पादन की कुल लागत का लगभग 58.23 प्रतिशत था। चाय बोर्ड ने लागत अध्ययनों के मध्यम से लागत के घटकों की पहचान नहीं की थी जहाँ लागत कटौती की गुंजाइश विद्यमान थी। इस संबंध में हमने देखा कि श्रम की उत्पादकता और लागत के अन्य घटकों जहाँ लागत कटौती की गुंजाइश विद्यमान थी, को सुधारने के संबंध में चाय बोर्ड द्वारा कोई प्रमुख पहल नहीं की गई थी। हमने मानव संसाधन विकास योजना के माध्यम से उत्पादकता सुधारने पर उद्देश्यित प्रशिक्षण तथा कल्याण कार्यकलापों को आरम्भ करने के द्वारा श्रम लागत कम करने में चाय बोर्ड की भूमिका की जांच की।

मानव संसाधन विकास योजना के संबंध में हमारे लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर नीचे चर्चा की गई है:

#### मानव संसाधन विकास योजना

**6.4** योजना का उद्देश्य सभी स्तरों पर अर्थात् श्रमिकों से लेकर प्रबन्धकों तक, चाय बागान से संबंधित लोगों के कौशल में सम्पूर्ण सुधार लाना था। इस योजना के अन्तर्गत किए जाने वाले कार्यकलाप निम्नवत थे:

#### मानव संसाधन विकास योजना की शर्तें तथा निबन्धन

- श्रमिकों से प्रबन्धकों तक सभी स्तरों पर कौशल सुधार हेतु बागान प्रबन्धन, श्रम उत्पादकता में प्रशिक्षण दिया जाना था।
- चाय बोर्ड को पेय जल, सफाई व्यवस्था, कैंटीन, पालना-घर और चिकित्सा, शैक्षणिक तथा आवास सुविधाओं जैसे कल्याण कार्यकलापों के लिए आर्थिक सहायता देनी थी।

#### मानव संसाधन विकास योजना के प्रशिक्षण कार्यकलापों में त्रुटियाँ

**6.4.1** योजना का दसवीं पंचवर्षीय योजना में परिव्यय ₹6.01 करोड़ था जिसमें प्रशिक्षण कार्यकलापों के लिए ₹2.29 करोड़ तथा कल्याणकारी उपायों के लिए ₹3.72 करोड़ शामिल थे। योजना का ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का परिव्यय ₹50 करोड़ था जिसमें से ₹12.50 करोड़ प्रशिक्षण के लिए था और ₹37.50 करोड़ कल्याण कार्यकलापों के लिए था। इस संबंध में हमने देखा कि:

(क) चाय उद्योग में नियुक्त श्रम बल की बड़ी संख्या देखते हुए प्रशिक्षण कार्यकलापों के लिए वास्तविक वितरण अपर्याप्त (16 प्रतिशत) था। इसके अलावा प्रशिक्षण के लिए ₹2.29 करोड़ के कुल योजना आवंटन में, से बोर्ड ने श्रमिकों से प्रबन्धकों तक के सभी स्तरों के लिए प्रशिक्षण कार्यकलापों के लिए योजना के अन्तर्गत केवल ₹0.91 करोड़ वितरित किए थे। इस प्रकार इस तथ्य कि बागान श्रम को प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना का मुख्य केन्द्रबिन्दु तथा चाय उद्योग की प्रमुख आवश्यकता थी, के बावजूद निर्धारित लक्ष्यों के विरुद्ध दसवीं योजना के दौरान प्रशिक्षण के अन्तर्गत खर्च में 60 प्रतिशत की कमी हुई थी।



टी वैनजीस (2 पत्ते एवं एक कली) के स्थान पर चाय पत्तियों को हाथों। मृत्ती से तोड़ते हुए मजदूर

(ख) बोर्ड ने केवल वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किए, भौतिक लक्ष्य नहीं।

(ग) 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान चलाए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एक को छोड़कर और सभी प्रशिक्षण अनुमोदित संस्थाओं में नहीं थे।

कल्याणकारी  
कार्यकलापों को  
आर्थिक सहायता  
देने में त्रुटियाँ

**6.4.2** हमने कल्याणकारी कार्यकलापों, जहाँ 2007-09 के दौरान ₹6.32 करोड़ की वितरित की गई आर्थिक सहायता के अन्तर्गत 368 मामलों (100 प्रतिशत) की भी जांच की और देखा कि:

(क) उपर्युक्त दो वर्षों में आवास, पेयजल, सफाई व्यवस्था, स्वच्छता, केन्टीन तथा क्रैच जैसी सुविधाओं के लिए कोई राशि वितरित नहीं की गई थी।

(ख) चिकित्सा सुविधाओं पर 4.57 प्रतिशत व्यय किया था। चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थाओं को पूंजीगत अनुदान संस्वीकृत करने की शर्तों में से एक यह थी कि संस्थान की स्थापना चाय उत्पादक क्षेत्रों में होनी चाहिए और चाय बागान श्रमिकों तथा उनके आश्रितों की आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा करना चाहिए। यद्यपि बोर्ड ने 2007-09 के दौरान ₹28.87 लाख का खर्च किया परन्तु यह निर्धारित करने के लिए कोई मूल्यांकन आरम्भ नहीं किया कि क्या चाय बागान श्रमिकों तथा उनके आश्रितों की चिकित्सा आवश्यकताएं पर्याप्त रूप से पूर्ण हुई थी।

(ग) अक्टूबर 2007 में बोर्ड ने बंद हुए चाय बागानों के निकट के बागान श्रमिकों को त्यौहार अवसर से पहले कुछ प्रोत्साहन भुगतान के लिए मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा था। मंत्रालय ने तब तक बन्द रहे चाय बागानों के बागान श्रमिकों को ₹1000 प्रति वार्ड एक मुश्त भुगतान के प्रस्ताव को अनुमोदित किया था। चाय बोर्ड ने 2007-08 के दौरान 33 बंद चाय बागानों के 33,708 बागान श्रमिकों को ₹3.35 करोड़ वितरित किए थे। तथापि ऐसा भुगतान श्रम लागत कम करने पर कोई दीर्घाविधि प्रभाव नहीं रखता है। इसके अलावा, लाभार्थी द्वारा वास्तव में प्राप्त की गई राशि के समर्थन में शोधन भी अभिलेख पर नहीं पाया गया था।

मंत्रालय ने उपर्युक्त आपत्तियों पर कोई विशेष टिप्पणियां प्रस्तुत नहीं की थी। तथापि उन्होंने अक्टूबर 2009 में बताया कि मानव संसाधन के महत्त्व, के मद्देनजर उनका शारीरिक स्वास्थ्य के अलावा उनके ज्ञान स्तर को ध्यान में रखकर ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में परिव्यय ₹50 करोड़ (प्रशिक्षण – ₹12.50 करोड़ और कल्याणकारी कार्यकलापों – ₹37.50 करोड़) तक बढ़ा दिया गया था। मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य की दृष्टि से देखा जाए कि 2007-09 के दौरान ₹3.75 करोड़ के आबंटन के प्रति बोर्ड 62 प्रतिशत की कमी दर्ज करते हुए केवल ₹1.43 करोड़ का उपयोग कर सका था।

### हमारी सिफारिशें तथा चाय बोर्ड की प्रतिक्रिया

**6.5** हमने नवम्बर 2009 में सिफारिश की कि चाय बोर्ड प्रशिक्षण तथा कल्याण कार्यकलापों के लिए वार्षिक भौतिक लक्ष्य अवश्य निर्धारित करे और प्रशिक्षण कार्यकलापों के लिए उपलब्ध निधियों का अन्य कार्यकलापों को विपथन किए बिना पूर्णरूप से उपयोग अवश्य करे। चाय बोर्ड (दिसम्बर 2009) ने मार्च 2011 तक लागू करने के लिए इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया।

### निष्कर्ष

**6.6** चाय बोर्ड ने विश्व में प्रमुख चाय उत्पादक देशों के बीच भारत के उत्पादन की उच्चतम लागत वाला होने और बिक्री की लागत भी नीलामी वसूली से अधिक होने के बावजूद नियमित लागत अध्ययन निर्धारित नहीं किए। चाय बोर्ड ने विशेष रूप से उन राज्यों, जहाँ बिक्री की कुल लागत की तुलना में औसत वसूली कम थी, के लिए योजनाएं तैयार तथा आरम्भ नहीं की गई थी। चाय बोर्ड ने लागत अध्ययनों के माध्यम से लागत के अन्य घटकों की भी पहचान नहीं की जहाँ लागत कटौती की गुंजाइश विद्यमान थी। जहाँ तक श्रमबल लागत में कटौती का संबंध है प्रशिक्षण कार्यकलापों के लिए आवंटित निधियां निरर्थक थीं और चाय बोर्ड उन्हें भी प्रभावीरूप से उपयोग करने में विफल रहा था। प्रशिक्षण के लिए कोई भौतिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे। चाय बोर्ड ने पुनरीक्षण के दो वर्षों के दौरान आवास, पेयजल, सफाई व्यवस्था, स्वच्छता, केन्टीन तथा पालना-घर जैसी सुविधाओं पर भी खर्च नहीं किया था।

हमने आगे सिफारिश की कि लागत कटौती के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए और दीर्घाविधि स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उन क्षेत्रों को प्रभावी रूप से संवोधित करने के लिए चाय बोर्ड को लागत अध्ययनों की एक उचित प्रणाली अपनाने की आवश्यकता है। हमारा विचार है कि श्रमबल की उत्पादकता सुधारने तथा उचित प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप, लागत कटौती के लिए आवश्यक है।